

पूर्व अग्निवीरों के लिए परिवहन विभाग में 20 प्रतिशत पद आरक्षित

लखनऊ : 15 अक्टूबर, 2026

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन कांस्टेबल की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव परिवहन ने शासनादेश जारी कर दिया है। एस0सी0/एस0टी0/अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 एवं अधिनियम 2020 के अनुसार दिया जाएगा। पूर्व अग्निवीर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में अग्निपथ योजना के अन्तर्गत अपनी सेवा पूर्ण कर लिया हो और जिसे निर्मुक्त कर दिया गया हो, परंतु वह नियमों के अनुसार पात्र हो। आरक्षण का लाभ उन्हीं पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे।

जारी शासनादेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत उन्हें लिखित परीक्षा, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा और अलग से शारीरिक दक्षता व मानक परीक्षण से छूट दी जाएगी। संशोधित नियमों के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को भी आयु की गणना में घटाया जाएगा। भर्ती वर्ष 2026-27 के लिए चयन वर्ष का पहला दिन एक जुलाई होगा, जबकि इसके बाद के चयन वर्षों में एक जनवरी को आधार माना जाएगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित है।

आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। यदि पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते या वे चिकित्सकीय परीक्षण में सफल नहीं होते हैं तो खाली पद सामान्य भर्ती प्रक्रिया से भरे जाएंगे, ऐसे पदों को अग्रेषित नहीं किया जायेगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। पूर्व अग्निवीरों के लिए सेना, नौसेना या वायु सेना की ओर से दी गई 12वीं के समकक्ष शैक्षिक योग्यता मान्य होगी।

सम्पर्क सूत्र – आशीष सिंह

अवनीश श्रीवास्तव/03:54 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं0 : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : upssoochna@gmail.com,

वेबसाइट : www.information.up.gov.in